



संख्या- 793 /आ.वि.वि/कु.संका/2024

दिनांक-19.06.24

विद्यापरिषद् की 18वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 19 जून 2024 को प्रातः 11:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभागार में सम्पन्न विद्या परिषद् की 18वीं बैठक की कार्यवाही में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहें :-

1-	प्रो० एन०बी० सिंह, माननीय कुलपति	- अध्यक्ष ।
2-	प्रो० बलराज चौहान, पूर्व कुलपति, डॉ० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय लॉ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।	- सदस्य ।
3-	प्रो० सी०के० दीक्षित, विभागाध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग, डॉ० श०मि०रा०पु०वि०वि०, लखनऊ ।	- सदस्य ।
4-	प्रो० पवन अग्रवाल, हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।	- सदस्य ।
5-	प्रो० मसरूद आलम, संकायाध्यक्ष, कला एवं मानविकी संकायाध्यक्ष/ पुस्तकालय प्रभारी । (Online)	- सदस्य ।
6-	प्रो० सैय्यद हैदर अली, विभागाध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग ।	- सदस्य ।
7-	प्रो० चन्दना डे, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय ।	- सदस्य ।
8-	प्रो० एहतेशाम अहमद, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय ।	- सदस्य ।
9-	प्रो० तनवीर खदीजा, विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग ।	- सदस्य ।
10-	प्रो० फखरे आलम, विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग ।	- सदस्य ।
11-	प्रो० सौबान सईद, आचार्य, उर्दू विभाग/अधिष्ठाता-शैक्षणिक ।	- सदस्य ।
12-	डॉ० मुशीर अहमद, सह-आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग ।(Online)	- सदस्य ।
13-	डॉ० तत्हीर फातमा, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय ।	- सदस्य ।
14-	डॉ० मोहम्मद अकमल, सहायक आचार्य, उर्दू विभाग ।	- सदस्य ।
15-	डॉ० वसी अहमद आजम अंसारी, सहायक-आचार्य, उर्दू विभाग ।	- सदस्य ।
16-	डॉ० पूनम चौधरी, सहायक आचार्य, इतिहास विभाग ।	- सदस्य ।
17-	प्रो० शालिनी त्रिपाठी, भेषजी संकाय ।	विशेष आमंत्रित
18-	डॉ० भावना मिश्रा, कुलसचिव ।	- सदस्य सचिव ।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से कुलसचिव द्वारा समस्त सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत कार्यसूची पर विद्या परिषद् द्वारा बिन्दुवार निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

Amish
 कुलसचिव

R
 कुलपति



- बिन्दु सं०-1** विद्यापरिषद् की 17वीं बैठक दिनांक 28 फरवरी, 2024 की के कार्यवृत्त के सम्पुष्टिकरण पर विचार।
- निर्णय-** परिषद् द्वारा विद्यापरिषद् की 17वीं बैठक दिनांक 26, फरवरी 2024 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया गया।
- बिन्दु सं०-2** विद्यापरिषद् की 17वीं बैठक दिनांक 26 फरवरी, 2024 की कृत कार्यवाही। (ATR)
- निर्णय-** परिषद्, पूर्व में सम्पन्न विद्यापरिषद् की 17वीं बैठक दिनांक 26 फरवरी, 2024 की कृत कार्यवाही से संसूचित हुयी।
- बिन्दु सं०-3** स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी०बी०ए० पाठ्यक्रम में 60 सीटों का अतिरिक्त सेक्शन खोले जाने पर विचार।
- निर्णय-** विद्यापरिषद् द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी०बी०ए० पाठ्यक्रम में 60 सीटों का अतिरिक्त सेक्शन खोले जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
- बिन्दु सं०-4** स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी०सी०ए० पाठ्यक्रम में 60 सीटों का अतिरिक्त सेक्शन खोले जाने पर विचार।
- निर्णय-** विद्यापरिषद् द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी०सी०ए० पाठ्यक्रम में 60 सीटों का अतिरिक्त सेक्शन खोले जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
- बिन्दु सं०-5** स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत एल०एल०एम० पाठ्यक्रम में 30 सीटों का अतिरिक्त सेक्शन खोले जाने पर विचार।
- निर्णय-** विद्यापरिषद् द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत एल०एल०एम० पाठ्यक्रम में 30 सीटों का अतिरिक्त सेक्शन खोले जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
- बिन्दु सं०-6** अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के पत्र संख्या-F.No. Northern/2024-25/1-44117136607 दिनांक 11-04-2024 द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित एम०बी०ए०, एम०सी०ए०, बी०बी०ए० एवं बी०सी०ए० पाठ्यक्रम को ए०आई०सी०टी०ई० से प्राप्त मान्यता का संसूचन।
- निर्णय-** विद्यापरिषद् विश्वविद्यालय में संचालित एम०बी०ए०, एम०सी०ए०, बी०बी०ए० एवं बी०सी०ए० पाठ्यक्रम को ए०आई०सी०टी०ई० से प्राप्त मान्यता हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के पत्र संख्या-F.No. Northern/2024-25/1-44117136607 दिनांक 11-04-2024 से संसूचित हुयी।

Omisha
 विद्यापरिषद्

[Signature]



बिन्दु सं०-7 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के पत्र संख्या-F.No. Northern/1-43664087098/2024/EOA दिनांक 30-05-2024 द्वारा विश्वविद्यालय में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के अन्तर्गत इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों को ए0आई0सी0टी0ई0 से प्राप्त मान्यता का संसूचन।

निर्णय- परिषद् विश्वविद्यालय में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के अन्तर्गत इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों को ए0आई0सी0टी0ई0 से प्राप्त मान्यता हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के पत्र संख्या- F.No. Northern/1-43664087098/2024/EOA दिनांक 30-05-2024 से संसूचित हुयी।

बिन्दु सं०-8 भारतीय भेषजी परिषद, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 27-05-2024 द्वारा विश्वविद्यालय में भेषजी संकाय में डी0फार्म0 एवं बी0फार्म0 पाठ्यक्रम को पी0सी0आई0 से प्राप्त मान्यता का संसूचन।

निर्णय- विश्वविद्यालय के भेषजी संकाय में डी0फार्म0 एवं बी0फार्म0 पाठ्यक्रम को पी0सी0आई0 से प्राप्त मान्यता हेतु भारतीय भेषजी परिषद, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 27-05-2024 से विद्यापरिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु सं०-9 विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों (भेषजी, शिक्षा एवं वाणिज्य विभाग) की बोर्ड ऑफ स्टडीज (बी0ओ0एस0) की बैठक के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय- विद्यापरिषद् द्वारा भेषजी संकाय की बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक दिनांक 18-06-2024, शिक्षाशास्त्र विभाग की बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक दिनांक 18-06-2024 एवं वाणिज्य विभाग की बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक दिनांक 18-06-2024 के कार्यवृत्त पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन से।

अन्य बिन्दु सं०-1 कुलसचिव द्वारा विद्यापरिषद् में अवगत कराया गया कि कार्यपरिषद के निर्णय दिनांक 10 मार्च 2024 के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप संख्या 343/भावि/कुसका/2024 दिनांक 10 मार्च 2024 द्वारा डॉ0 प्रवीण कुमार राय, सह आचार्य, भूगोल विभाग को सेवा से हटा (Removal from Service) दिया गया समाप्त कर दी गयी है। डॉ0 प्रवीण राय तीन छात्रों 01. वन्दना प्रियदर्शिनी, 02. नजमु शाकिब तथा 03. सुलेमान के शोध पर्यवेक्षक थे। डा0 प्रवीण कुमार राय के सेवा से हटाने के कारण उन तीनों छात्रों के शोध कार्य की निरंतरता हेतु शोध पर्यवेक्षक का परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है।

इस सम्बन्ध में पी0एच0डी0 समन्वयक द्वारा पत्र संख्या 304/पीएच0डी0/भा0वि0/2024 दिनांक 12.06.2024 के माध्यम से अवगत कराया है कि विश्वविद्यालय पीएच0डी0 आर्डिनंस 2017 के प्रस्तर



7.13 में उल्लेखित व्यवस्थानुसार "No change of supervisor shall ordinarily be allowed, but in special cases, where the Head of the Department/ Director of the Institute is satisfied that the research work of a Ph.D. student will suffer. The matter would be placed before the DRC which may recommend a change of supervisor to the Vice-Chancellor through the Dean of Faculty who may allow the change of supervisor. The reasons might any of the following:

7.13.1 On account of migration, retirement, long leave or for any other reason, the supervisor may not be available to guide the scholar

7.13.2 As the supervisor is not willing to, or not in a position to supervise the candidate. 7.13.3 Due to some extra-ordinary situation necessitating such a change"

उक्त नियम के आलोक में विद्यापरिषद् द्वारा सम्यक विचारोपरान्त संकायाध्यक्ष, समाजिक विज्ञान संकाय को शीघ्र DRC की बैठक कराकर प्राप्त ससंतुति के आधार पर निर्णय लिये जाने हेतु मा० कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

अन्त में समस्त सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विद्या परिषद् की बैठक सम्पन्न हुई।

Bmisha
(डॉ० भावना मिश्रा)
कुलसचिव / सदस्य सचिव
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा
विश्वविद्यालय, लखनऊ

[Signature]
(प्रो० एन०बी० सिंह)
कुलपति / अध्यक्ष।
कुलपति
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ